कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
नलकूप निर्माण खण्ड फैजाबाद

अल्पकालीन निविदा संख्या–04 /अ0अभि0/2017–18 ई–टेडरिंग के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यो की निविदा

महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से अघोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित कार्यो हेतु ऑनलाइन http://etender.up.nic.in के माध्यम से अति अल्पकालीन निविदा सिचाई विभाग में वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक.–20.01..2018 को अपरान्ह 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक–20.01..2018 को अपरान्ह्–3:00 बजे अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड, फैजाबाद उ0प्र0 के कार्यालय में ऑनलाइन खोली जायेगी। निविदा दिनांक–15.01..2018 को अपरान्ह 10:30 बजे से दिनांक–20.01.2018 को अपरान्ह 12:00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है। कार्यालय बंद होने या छुट्टी होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में उसी समय खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	लाट संख्या	कार्य की अनुमानित लागत लाख रू0 में	धरोहर धनराशि हजार रू0 में	कार्य को पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 में + जी0एस0टी0	पंजीकृत श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Supply and carriage of pea gravel 2.00mm to 3.35 mm size from Lalkuan to Division store, Tubewell Division Barabanki including cost of royalty, loading unloading and stacking at store excluding G.S.T	01	8.10	81000.00	30 दिवस	225.00 + GST (नियमानुसार)	"C" अथवा उच्च श्रेणी

Note- Only online bids will be accepted hence the tenderer has to complete necessary action to participate in e-tendering process

1. यह निविदा/बिड सूचना उ0प्र0 सरकार की बेवसाइट http://upgov.nic.in/, सूचना विभाग की वेबसाइट http://information.up.nic.in/ तथा सिचाई विभाग की वेबसाइट http://irrigation.up.nic.in/ पर भी उपलब्ध है।
2. यह निविदा सूचना एवं प्रपत्र बेवसाइट http://etender.up.nic.in/ पर उपलब्ध है। निविदा के साथ सिचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (IDT-1), हैसियत प्रमाण पत्र (IDT-2), स्व घोषणा शपथ पत्र (IDT-3) के समस्त अभिलेखों की स्कैन्ड प्रति (Scanned copy) वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। टेक्निकल बिड खोलने के उपरान्त अपलोड किये गये समस्त अभिलेखों की मूल प्रति सत्यापन हेतु कार्यालय में जमा करनी होगी। वेबसाइट पर ड्राइंग उपलब्ध न होने की स्थिति में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड,फैजाबाद से ड्राइंग आदि प्राप्त कर सकेंगें।
3. निविदादाता को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ में ई–टेण्डरिंग हेतु पंजीकृत होना आवश्यक होगा।
4. कार्य तत्कालिक प्रवृत्ति के है तथा निर्धारित अवधि में पूर्ण कराये जाने अनिवार्य हैं। विलम्ब होने अथवा राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न होने की दशा में पेनाल्टी/बीजक से कटौती तथा पंजीकरण निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
5. निविदादाता को टेंडर सेल धनराशि जी0एस0टी सहित डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो कि अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड, फैजाबाद के नाम/पक्ष में बन्धक तथा फैजाबाद में देय होगा, जिसकी Scanned copy अपलोड करनी होगी, अन्यथा इनकी निविदा/बिड को Nonresponsive मानते हुए कोई विचार नही किया जायेगा।

6. धरोहर धनराशि एन0एस0सी0 / एफ0डी0आर0 अथवा नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रतिभूति के रूप में जो फैजाबाद में देय हो व राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हों, अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड फैजाबाद, उ0प्र0 के नाम / पक्ष में बंधक होना अनिवार्य है। जिसकी स्कैन्ड कापी ऑनलाइन अपलोड करना होगा, एवं निविदा खुलने के समय मूल एन0एस0सी0 / एफ0डी0आर0 उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा स्वीकार नही की जायेगी।
7. प्रत्येक निविदादाता को फाइनेन्शियल बिड के साथ रू 100 / – जुडीशियल स्टैम्प पेपर पर एक रूपये का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होंगी। इससे पहले निविदा / ऑफर वापस लेने पर जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी। इसकी Scanned copy ऑनलाइन निविदा के साथ अपलोड करनी होगी। नियमानुसार देय जी0एस0टी0, आयकर, स्टैम्प ड्यूटी, रायल्टी व प्रचलित टैक्स देय होगा। अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी जमा करनी होगी।
8. कार्य–स्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटाई / बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिये ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नही होगा।
9. निविदादाता को उपरोक्तानुसार कार्य स्थल की पूर्ण जानकारी निविदा डालने से पूर्व स्वयं प्राप्त करनी होगी एवं कोई भी अन्य जानकारी सम्बन्धित कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
10. निविदादाता / बिडर द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी / ट्रेनिंग अथवा अन्य किसी कारण से शर्तो को पूर्ण न कर पाने / बाधित हो जाने के कारण निविदा न पड़ने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
11. इस निविदा को निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
12. यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने व निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गई हो, तो ऐसे ठेकेदारों के साथ यदि अनुबंध हो भी गया है तो उसके साथ किया गया अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।
13. कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो,वह निविदा प्रक्रिया में भाग न ले सकेंगें।
14. राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग न ले सकेंगें।
15. यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध अनुबध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव / असमयक असर डालता है तो प्रश्पगत निविदादाता के न्यूनतम निविदा की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।
16. विशेष परिस्थितियों में निविदा खोलने की तिथि /समय में यदि कोई परिवर्तन होता है, तो इसकी सूचना ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जायेगी।
17. प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों का पहले यह निरीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता ने IDT-1, IDT-2,IDT-3 तथा निर्धारित प्रतिभूति धनराशि नियमानुसार उपलब्ध करायी है या नही। इसमें किसी प्रकार की कमी या असन्तोषजनक होने की स्थिति में निविदा निरस्त की जा सकती है।
18. अनुबंध गठित होने के पश्चात भी यह तथ्य संज्ञान में आता है कि किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन किया गया है, तो ऐसे अनुबंध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त कर दिया जायेगा।
19. अन्य शर्तें एवं कार्य स्थल का विवरण निविदा प्रपत्र में संलग्न है।
20. शासनादेश संख्या–622 / 23–12–2012–2 आडिट / 08टी0सी0 दिनांक–08.06.2012 के अनुसार कार्यो की विभागीय दरों से ठेकेदारों द्वारा 1 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक दर कम देने पर 0.5 प्रति 1 प्रतिशत कमी पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक दरों में कमी पर प्रति 1 प्रतिशत कमी पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त परफारमेंस गारन्टी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि देय होगी। उक्त धरोहर धनराशि अनुबन्ध के समय जमा करने की बाध्यता होगी। अन्यथा निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा नही किये जाने पर उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी
21. निविदादाता की ज्वाइण्ट वैन्चर की निविदा किसी भी दशा में स्वीकार नही होगी।
22. सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी।
23. शासनादेश संख्या–1862 / 16–27–सिं–3–08टी / 84, दिनांक 14 / 12 / 2016 के अनुसार एक निविदादाता एक कार्य की केवल एक ही निविदा क्रय कर सकेगा व डाल सकेगा।
24. नियमानुसार लेबर सेस की कटौती ठेकेदारों के बीजक से की जायेगी।

25. शासनादेश संख्या–383 / 36–2–2010 श्रम अनुभाग–2, दिनांक–26.02.2010 द्वारा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन नियमावली–2009 के अर्न्तगत ठेकेदार को श्रम विभाग में किये जाने वाले उक्त कार्य का पंजीकरण कराया जाना आवश्यक हैं।

26. टी0ए0सी0 / ऑडिट अथवा अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा निर्धारित वसूली सम्बंधित निविदादाता फर्म द्वारा वहन की जायेगी।

27. प्रत्येक निविदादाता को निम्नलिखित अभिलेख की मूल प्रति दिनांक–20.01.2018 तक कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड,फैजाबाद में अपरान्ह 12:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगाः–

(क)– वैध पंजीयन की मूल प्रति
(ख)– समान या उच्च लागत के कार्यो का एकल अनुबंध जो कि अनुबंध में निर्धारित समय अवधि में पूर्ण किया गया हो, का मूल अनुभव प्रमाण पत्र।
(ग)– IDT-1, IDT-2,IDT-3 प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति।
(घ)– निविदा मूल्य का डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप में।
(ड़)– जमानत धनराशि की एफ0डी0आर0 / एन0एस0सी0 मूल रूप में।
(च)– रू0 100 / – जुडीशियल स्टैम्प पेपर पर एक रूपये का रसीदी टिकट लगा कर अनुबंध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होगी मूल रूप में।
(छ)– पूर्ववर्ती तीन वर्षां की आयकर विवरणी की सत्यापित छायाप्रति।

28. निविदादाता का जी0एस0टी0 में पंजीकरण होना अनिवार्य है।

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप निर्माण खण्ड,फैजाबाद